

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 54/2022

राजस्थान सरकार जरिये श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

मामा होटल गंज थाने के सामने गंज चौराहा, अजमेर
श्री आनंद प्रकाश पुत्र श्री जगदीश प्रसाद पुलिस थाना गंज अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित: श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी - पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 11.01.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 28.07.2022 को जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग रोकने के अभियान के तहत श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी अजमेर शहर, श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी, श्री अंकुश अग्रवाल, श्री हेमन्त आर्य, प्रवर्तन अधिकारी, श्री खान मोहम्मद खॉ प्रवर्तन निरीक्षक, मामा होटल, गंज थाने के सामने गंज चौराहा अजमेर पर पहुँचे। उक्त दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डरों के संदर्भ में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए अप्रार्थी की फर्म से निम्न घरेलू गैस सिलेण्डरों

| S.NO. | S.R.NO. | CO. | T.W. | G.W. | N.W.GAS | TYPE |
|-------|---------|------|------|------|---------|-------------------|
| 1 | 805337 | HPCL | 15.9 | 19 | 3-1 | Domestic Cylinder |

को कब्जेराज लिया गया। वरवक्त जांच मामा होटल, गंज थाने के सामने गंज चौराहा अजमेर पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डरों का दुरुपयोग कर एल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1)(सी) की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर चन्द्रायन गैस सर्विस, अजमेर शहर के कार्मिक अयूब खान पुत्र कयूब खान को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने के बाद आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी

Am
(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर


में दिए गए। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। परोकार सरकार को सुनवाई चाहने पर एकपक्षीय सुना गया।

परोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 28.07.2022 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये एक घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात फरमाया जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 28.07.2022 के अप्रार्थी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये एक घरेलू गैस सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डरों को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।


(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर